राजस्व अपील संख्या 02/2024 (2024/7)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:– 2/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या:– 2024/7

अपीलार्थीपक्ष:–

1. जमना कंवर पत्नी श्री मगसिंह
2. प्रेम कंवर पत्नी श्री रूपसिंह
3. मगसिंह पुत्र श्री पेपसिंह
4. सागसिंह पुत्र श्री नगसिंह
5. रामसिंह पुत्र श्री नगसिंह
6. चन्द्र कंवर पत्नी श्री पनेसिंह

समस्त जातियान् राजपूत, निवासीगण ग्राम लोडता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. लादुसिंह पुत्र श्री श्री धन्नसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लोडता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सेखाला।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2021 जो प्रकरण संख्या 02/2021 बअनवान लाधूसिंह बनाम जमना कंवर वगैरा में तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनियां, अधिवक्ता श्री भीखाराम विश्नोई (अपीलार्थी पक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (रेस्पोडेण्टस सं. 01 की ओर से)

आदेश **दिनांक :– 23.12.2024**

यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत, न्यायालय तहसीलदार सेखाला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2021 अनवान लाधूसिंह पुत्र धनसिंह बनाम जमना कंवर प[illegible] वगैरा में [illegible] आदेश (सुखाचार अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) [illegible]8.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16.12.2021 को प्रस्तु[illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी[illegible] को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीपक्ष को जारी नोटिस विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। न्यायालय [illegible] पत्र क्रमांक एडीएम–प्रथम/[illegible] कोर्ट / 2022/148 दिनांक 14.03.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड तलब किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

एवं तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर से जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2022/36 दिनांक 22.03.2022 से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 471 ग्राम लोड़ता अचलावता के खातेदार काश्तकार है, जिनके खेत में से तहसीलदार सेखाला ने अपने आदेश दिनांक 14.10.2020 के द्वारा प्रत्यर्थी के लिए चालु रास्ता दिया गया है, जो मौके पर चल रहा है। उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होते हुए भी तहसीलदार सेखाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अपीलाधीन रास्ता अलग से खोलने का आदेश पारित किया, जो आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना है एवम् नियम न्याय के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश में वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का गलत कारण देकर पूर्व के रास्ते के मौजूद होते हुए भी नया रास्ता खोलने का आदेश दिया है। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को जवाब, सुनवाई, साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया हैं इस कारण अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि वर्तमान में मामला 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित है जिसमें पारम्पारिक रूप से चल रहे रास्ते को अगर कोई खातेदार बन्द करता है तो उसे खुलवाने के प्रावधान है जो पारम्पारिक रूप से वर्षो से रास्ते के रूप में काम आ रहे है। अपीलांट को समस्त कार्यवाही की जानकारी मौके पर तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी थी। अपीलार्थी द्वारा मौके पर गेट लगाकर रास्ते को बंद किया जाना प्रकट है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश सही होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

1. उभय पक्ष अधिवक्ता की दिनांक 09.12.2024 को बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को व कथनों पर गंभीरता से अध्ययन पर तथ्यों पर मनन किया।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट लादूसिंह ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 11.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उसे ग्राम सेखाला के खेत खसरा नं 472 में जाने–आने हेतु खसरा नं 471 में से चल रहे पुराने रास्ते में से निकलना पड़ता है, परन्तु रास्ता बंद करने के कारण उसने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2019 को ग्राम पंचायत सेखाला में पेश किया, जिसे दिनांक 15.10.2019 को तहसीलदार बालेसर को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 08.01.2020 से खसरा न 472 में से आने–जाने हेतु रास्ता खोलने के आदेश पारित किये, जिसके विरूद्व एक अपील जमना कंवर वगैरा ने अपर कलक्टर (प्रथम) जोधपुर को पेश की गई। न्यायालय ने आदेश दिनांक ...2020 से प्रकरण को दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया, जिसके विरूद्व जमना कंवर वगैरा ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की। प्रार्थी लादू सिंह के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व मंडल ने मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति रखने के अन्तरिम आदेश पारित किये थे परन्तु दिनांक 14.04.2021 को जमनाकंवर वगैरा ने रास्ता बंद कर दिया है जिसे खुलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 पर तहसीलदार सेखाला ने पत्रांक/राजस्व/प्र.गा.सं/2021/62 दिनांक 11.10.2021 से पटवारी लोड़ता अचलावता को अग्रेषित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की। पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा बताए स्थान पर खसरा नं 471 की सड़क पर स्थित माठ से पूर्व में खोले गए रास्ते पर पत्थर डाल कर बंद कर दिया है प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं 472 पर जाने हेतु लघुतम रास्ता यही है। तहसीलदार सेखाला ने प्रकरण संख्या 02/2021 में दिनांक 28.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर खसरा नं 471 में से पूर्व चल रहे रास्ते को पुनः खोलने के आदेश पारित किए है। उपलब्ध अभिलेखानुसार पूर्व में तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2019 में दिनांक 08.01.2020 को आदेश पारित किया था, जिसकी अपील अपर कलक्टर (प्रथम) जोधपुर में पेश होने पर प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित करने के आदेशों के विरूद्व राजस्व मंडल में जमना कंवर वगैरा निगरानी संख्या 2020/2384 पेश हुई। जिसे दिनांक 12.11.2021 को विड्रो की गई है। उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार सेखाला ने इन्हीं पक्षकारों बाबत् प्रकरण संख्या 01/2020 में आदेश दिनांक 14.10.2020 पारित कर पूर्व में खसरा नं 471 व 420/2 की माठ से लगता हुआ रास्ते के आदेश को निरस्त कर अन्य जगह रास्ता खोलने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्व राजस्व मंडल में निगरानी संख्या 2021/3730 (लादूसिंह बनाम जमना कंवर वगैरा) लम्बित है। जिसमें दिनांक 14.10.2020 के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिनांक 05.10.2021 को पारित किए है। यह निगरानी प्रार्थना पत्र अभी लंबित है। (24.01.2025)

4. उक्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच रास्ते को लेकर प्रकरण में राजस्व मंडल में प्रकरण लंबित है। ऐसी सूरत में तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 विधि प्रावधानों के विपरीत है। एक ही विवाद को लेकर सुविधानुसार न्यायालय में प्रकरण दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 15/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के विरूद्व अपील में अपर कलक्टर द्वारा दिनांक 03.07.2020 को अपील प्रति प्रेषित की थी परन्तु जमना कंवर वगैरा द्वारा राजस्व मंडल में निगरानी संख्या 2020/2384 पेश कर यथा स्थिति के आदेश प्राप्त कर लिए। यह निगरानी दिनांक 12.11.2021 को विड्रो की गई है अर्थात अपर कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2020 की पालना में तहसीलदार को दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार सेखाला ने प्रकरण संख्या 01/2020 दर्ज कर आदेश दिनांक 14.10.2020 से पूर्व में खसरा नं 471 व 420/2 की माठ से लगता हुआ रास्ता देने के आदेश को निरस्त कर, खसरा नं 420/2 की उतरी माठ, खसरा नं 420/1 की दक्षिणी माठ से लगता हुआ व खसरा नं 420/2 की पूर्वी माठ व खसरा नं 420/8, 420/4 की पश्चिमी माठ से लगता हुआ खसरा नं 472 में जाने वाला रास्ता खुलवाने का निर्णय कर रास्ता खुलवाने का लिखा है जिसके विरूद्व प्रत्यर्थी लादू सिंह का प्रकरण संख्या 2021/3730 राजस्व मंडल में लम्बित है तथा दिनांक 05.10.2021 से यथा स्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त वस्तुस्थिति के बावजूद तहसीलदार ने प्रकरण संख्या 2/2021 दायर कर आदेश दिनांक 28.10.2021 से मृत खसरा नं 471 में से रास्ता खुलवाने के अपीलाधीन आदेश पारित किए है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भूमि धारक कृषक को रास्ते का सुखाधिकार का उपभोग व उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है तथा संक्षिप्त जॉच करके ही सुखाधिकारों के अस्तित्व प्रमाणित होने पर ही तहसीलदार आदेश पारित कर सकता है परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार ने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट को बिना कोई नोटिस जारी किये मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही एक पक्षीय आदेश मनमाने तरीके से पारित करने में विधिक प्रकिया का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों की घोर अवहेलना हुई है।

धारा 251 के प्रावधानों के तहत भूमि धारकों को नया रास्ता अन्य खातेदारों की भूमि पर से स्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा न ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा सकता है। नये रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को पेश किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त खसरा नं 471 की भूमि में से कदीमी से अनवरत रूप से रास्ता उपलब्ध होने का तथा उसका उपयोग–उपभोग प्रत्यर्थी द्वारा सुखाधिकार के रूप में निर्बाध रूप करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसको साबित करने का भार प्रार्थी लादू सिंह का था।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण संख्या 02/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सेखाला से प्राप्त मूल अभिलेख को पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested